न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 41/2023 ई.रे. दिनांक 23.02.2026

1. भगवतीलाल पुत्र पोखर ब्राहमण नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता उंकार लाल लौहार नि. बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2. भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री जी.एस. झाला वकील प्रार्थी
श्री एम.के. गोस्वामी वकील विपक्षी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी ने एक वादपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध ठोस तथ्यो पर न्यायालय आप में प्रस्तुत कर रखा है जो निश्चित ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु जिसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।

2. प्रार्थी के व अन्य खातेरान के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर आराजी का विवरण इस प्रकार है खाता सं. 491 की आराजी नं. 2784 रकबा 0.4200 हैक्ट0. ।

3. प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो में वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदारान के कब्जेयाबी व खार्तेदारी की होकर उक्त आराजीयात में प्रार्थी भगवती लाल का 1/9 हक हिस्सा होकर उक्त आराजीयात गै० मु० नाली के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं तथा उक्त नाली से बरसाती पानी गाँव व आस पास की जगह का निकलता हैं जिसे अवरूद्ध करने व वहाँ निमार्ण कार्य करने का कोई हक व अधिकार न तो किसी खातेदार को हैं ना ही किसी अन्य व्यक्ति कों तथा उक्त आराजी का उपयोग नाले के रूप में होता चला आ रहा हैं तथा बरसाती पानी निर्बाध रूप से निकलता चला आ रहा है।

4. उक्त नाले वाली आराजी के पास ही प्रार्थी भगवतीलाल की आराजीयात आराजी संख्या 2780 रकबा 0.3300 हैक्टयर होकर अगर नाले का पानी अवरूद्ध किया जाता है या रोका जाता हैं तो सारा पानी प्रार्थी की आराजी में इकठ्ठा हो जाता है। तथा वह भुमी खेती करने लायक नहीं रह जाती तथा अगर फसल भी बोई जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। क्योकि फिर आराजी मे पानी भरा रहता है।

5. विपक्षी कंमाक एक का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही होकर न तो खातेदार को ना किसी अन्य को उक्त नाली में निमार्ण करने का हक व अधिकार हैं फिर भी विपक्षी बिना किसी वेध अधिकार हैं उक्त नाले के अन्दर निमार्ण कार्य कर उक्त नाले को अवरूद्ध करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उसको कोई हक

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

व अधिकार नही होकर प्रार्थी विपक्षी कंमाक एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी हैं तथा उसके द्वारा नाले की भुमी में जो अवेध निमार्ण कार्य किया हैं उसे हटवाये जाने का अधिकारी है।

6. विपक्षी द्वारा उक्त नाले की भुमी में जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान के खातेदारी की हैं उस पर निमार्ण कार्य करने पर आमादा हुआ तब प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार बडीसादडी को दिनांक 10/07/2023 को दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मोका देखा गया व विपक्षी को पाबन्द भी किया की वह नाले की भुमी में निमार्ण कार्य न करे फिर भी विपक्षी नही मान जबरन लठ के बल पर निमार्ण करने व मना करने पर विवाद करने पर आमादा हैं जिसका उसको कोई हक व अधिकार नही होकर प्रार्थी विपक्षी कंमाक एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने अधिकारी है। तथा किये गये निमार्ण को तहसीलदार के जरिए हटवाये जाने का अधिकारी है।

7. प्रार्थी का प्रथम द्रस्टया मामला होकर सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति भी प्रार्थी को होने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायाचित है अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी वह अपनी आराजी के सही उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेगे जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिति में सम्भंव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षी क्रमांक एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजीयात 2784 गे.मु. नाले में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे व नाले के मूल स्वरूप में परिवर्तन न करे।

उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी/विपक्षी जगदीश पिता उंकार लुहार निवासी बोहेडा की ओर से निम्नानुसार पेश हैंः–

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। किन्तु प्रार्थी द्वारा पेश वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं जो ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर मनगढत व झुठा है।

2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दौ में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। लेकिन अन्य खातेदारो को उक्त वाद पत्र या प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि सभी शामलाती खातेदार है। और अभी तक मौके व राजस्व रेकार्ड का विभाजन नहीं हुआ हैं तो यह नही कहा जा सकता कि कौन कहा मौके पर बैठा है।

3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य प्रार्थी व अन्य खातेदारान की होकर प्रार्थी का 1/9 हक हिस्सा निहित है। किन्तु अन्य तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार हैं। यह कि मौके पर नाला बना हुआ है जिसमें बरसाती पानी निकलता हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार में वर्णित तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। यह कि विपक्षी जगदीश द्वारा नाला को नहीं रोका जा रहा है ना ही अवरूद्ध किया जा रहा है। यह कि विपक्षी द्वारा जो निर्माण काम करवाया जा रहा है वह अपनी स्वय की खातेदारी आराजी में किया जा रहा है। जिसके खाता संख्या 1051 की आराजी नम्बर 2797 है जिस पर निर्माण काम करवा रखा है। जबकि प्रार्थी की खाता संख्या 491 की आराजी नम्बर 2784 है जिस पर प्रार्थी व अन्य खातेदार काबिज है। अगर प्रार्थी को जमीन की कमी पेश को लेकर शंका थी तो कानुन में अन्य प्रावधान होकर पत्थरगढ़ी करवानी थी। विपक्षी जगदीश अपनी स्वंय की आराजी 2797 पर काबिज हैं।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच में वर्णित तथ्य मनगडत होने से अस्वीकार है। यह कि विपक्षी जगदीश द्वारा नाला से अपनी जमीन में से 3 फिट जमीन छोड कर निर्माण काम करवाया गया था और विपक्षी अपनी आराजी 2797 पर काबिज है जबकि प्रार्थी की आराजी 2784 है प्रार्थी को कोई तकलीफ थी तो जमीन की पत्थरगढी करवा लेता तो मौके पर पता चल जाता कि कौन सही है और कौन गलत है। और जो स्थगन प्रार्थी ने प्राप्त किया है वह अपनी आराजी 2784 पर लिया है। विपक्षी की आराजी तो 2797 है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या छः में वर्णित तथ्य मनगढ़त व झुठे होने से अस्वीकार हैं। यह कि विपक्षी द्वारा नाला में किसी प्रकार का निर्माण काम नहीं करवाया गया हैं जबकि नाले से अपनी जमीन में से 3 फिट जमीन को छोड कर निर्माण काम करवाया था

अतः श्रीमान न्यायालय से जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मिथ्या व झुठा होने से अस्वीकार कर खारिज किया जायें।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–
1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदारान के कब्जेयाबी व खार्तेदारी की होकर उक्त आराजीयात में प्रार्थी भगवती लाल का 1/9 हक हिस्सा होकर उक्त आराजीयात गै० मु० नाली के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं तथा उक्त नाली से बरसाती पानी गाँव व आस पास की जगह का निकलता हैं जिसे अवरूद्ध करने व वहाँ निमार्ण कार्य करने का कोई हक व अधिकार न तो किसी खातेदार को हैं ना ही किसी अन्य व्यक्ति कों तथा उक्त आराजी का उपयोग नाले के रूप में होता चला आ रहा हैं तथा बरसाती पानी निर्बाध रूप से निकलता चला आ रहा है। प्रार्थी का जबरन बेदखल करना चाहते है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया आवश्यक है विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>
चूंकि नाले वाली आराजी के पास ही प्रार्थी भगवतीलाल की आराजीयात आराजी संख्या 2780 रकबा 0.3300 हैक्टयर होकर अगर नाले का पानी अवरूद्ध किया जाता है या रोका जाता हैं तो सारा पानी प्रार्थी की आराजी में इकठ्ठा हो जाता है। तथा वह भुमी खेती करने लायक नहीं रह जाती तथा अगर फसल भी बोई जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। क्योकि फिर आराजी मे पानी भरा रहता है। जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है।

–:आदेशः–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नाले वाली आराजी के पास ही प्रार्थी भगवतीलाल की आराजीयात आराजी संख्या 2780 रकबा 0.3300 हैक्टयर होकर अगर नाले का पानी अवरूद्ध किया जाता है या रोका जाता हैं तो सारा पानी प्रार्थी की आराजी में इकठ्ठा हो जाता है। तथा वह भुमी खेती करने लायक नहीं रह जाती तथा अगर फसल भी बोई जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। क्योकि फिर आराजी मे पानी भरा

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रहता है। जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 41/2023) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.08.2023 के अनुसार उभयपक्ष मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेडा की आराजी नं. 2784 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे न किसी से करवाये व नाले को अवरूद्ध न करे। इस हेतु उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) सत्यमेव जयते

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी